

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

अल्पकालिक निविदा के माध्यम से केंद्र के आम, लीची, कटहल, नाशपाती के बागों की बिक्री के सम्बन्ध में

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर वर्ष-2020 की बिक्री हेतु बागों की नीलामी फल लगने के आधार पर अल्पकालिक निविदा के माध्यम से की जायेगी। अल्पकालिक निविदा प्रपत्र दिनांक 10.04.2020 से 15.04.2020 तक उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा से प्राप्त किये जा सकते हैं। अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (निविदा फीस एवं सुरक्षा धनराशि सहित) दिनांक 16.04.2020 के पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी तथा दिनांक 16.04.2020 को ही अपराह्न 12:30 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी।

बागों का विवरण:-

विभाग का नाम	लाट सं०.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं०-1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं०-2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़
	लाट सं०-8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं०- 6,7,15	12 एकड़

नीलामी की शर्तें:

1. बागों के टेके की अवधि 31.08.2020 तक होगी।
2. टेका लेने से पूर्व टेकेदार बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा किया गया ₹0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु ₹0 2240/- (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस (**Tander Fees**) वापस नहीं की जायेगी।
4. सफल निविदादाता को निविदा समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
5. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
6. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा किया गया ₹0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदादाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया ₹0 25,000/- के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
8. कुलपति महोदय द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित टेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा विशेष परिस्थिति में उनके (**WhatsApp No.**) पर दी जायेगी। टेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा किया ₹0 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट/ नगद धनराशि समायोजित कर लिया जायेगा। यदि टेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण की दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद टेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त टेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय टेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति/सुरक्षा धनराशि के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के

रूप में नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम जमा करना होगा। जो केवल भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक तक प्रतिभूति राशि/सुरक्षा धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

9. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।
12. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
13. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं० - 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी(6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1100 कि०ग्रा०	100 फल
2.	लीची	सं० - 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	1500 कि०ग्रा०	500 फल
8.	नाशपाती कटहल व लीची	सं०- 6,7,15	नाशपाती 400 कि०ग्रा०, लीची 150 कि०ग्रा० व कटहल 50 कि०ग्रा०	100 फल 100 फल

14. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ ₹० 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
15. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
16. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
17. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।

18. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़े से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीट नाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- नोट:- कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लाकडाउन के नियमों का पालन नीलामी के समय अक्षरसः सुनिश्चित किया जायेगा।

(ए०के०सिंह)
संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केंद्र,
पत्थरचट्टा

प्रतिलिपि :-

1. बिक्री सहायक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा।
2. लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र